निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 55 / 2025
दायरा दिनांकः—01.07.2025
निर्णय दिनांकः— 24-11-25

उनवान

1. शाहाना मदानी पुत्री अब्दुल हफीज जाति मुसलमान निवासी गोडियामेहर हाल निवास गुलजार बाग टोंक जिला टोंक (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 24-11-25

अभिभाषक उपस्थितः— 1. श्री राजेश कुमार भार्गव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136, एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या 2 की खसरा नंबर 178 रकबा 6.0443 है०, खसरा नंबर 179/2 रकबा 9.2182 है०, खसरा नंबर 242 रकबा 0.0126 है०, खसरा नंबर 244 रकबा 0.0632 है०, खसरा नंबर 583 रकबा 0.0126 है०, खसरा नंबर 586 रकबा 0.0632 है० कुल किता छह रकबा 15.4141 है० वाके माल गोड़ियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है। जिसकी नकल जमाबंदी संवत् 2073—76 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। जो प्रार्थना पत्र का अहम भाग है। उक्त आराजी प्रार्थीया की पैत्रिक आराजी हे। जो पूर्व में प्रार्थीया के पिता अब्दुल हफीज खां पुत्र अब्दुल मजीद खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम गोड़ियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीया के पिता अब्दुल हफीज का इंतकाल (मृत्यु) होने के बाद जर्ये फोती इंतकाल नामान्तरकरण संख्या 942 दिनांक 05.07.2012 से मृतक के वारिस होने से प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हुई। प्रार्थीया के मृतक पिता के स्थान पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...या के खोलते नाम दुर्रेशहाना दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम शाहाना मदानी है। समस्त राजकीय दस्तावेज सर्विस रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम शाहाना मदानी दर्ज है, जो सही व शुद्ध वास्तविक नाम है, जो संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गलत नाम अंकित होने से प्रार्थीया समस्त राजकीय लाभों से वंचित हो रही है एवं प्रार्थीया को भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। जिससे प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि का विकास सही तरीके से नहीं करा पा रही है। प्रार्थीया अपना सही एवं वास्तविक नाम गोडियामेहर तहसील छबड़ा की जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की वैधानिक अधिकारी है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त जो शा.मि. है। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 2 नकल नामान्तरण संख्या 942 दिनांक 05.07.2012 ग्राम गोडियामेहर पेश किया गया। जांच रिपोर्ट दिनांक 04.06.2025 पटवार मण्डल गोडियामेहर फोटों प्रति आधार कार्ड जन आधार कार्ड पेंशनर कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा में स्थित है। उक्त आराजी पैत्रक आराजी है। प्रार्थीया के पिता अ0 हफीज की मृत्यु होने के बाद फोती नामान्तरण खोलते समय प्रार्थीया का नाम दुर्रेशहाना दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम शाहाना मदानी है समस्त राजकीय दस्तावेज एवं सर्विस रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम शाहाना मदानी है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को भारी समस्या उत्पन्न हो रही है प्रार्थीया के हिस्से की भूमि का सही तरीके से विकास नही हो पा रहा है। प्रार्थीया अपना नाम दुर्रेशहना के स्थान पर शाहाना मदानी दर्ज कराने की अधिकारी है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबड़ा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम गोडियामेहर की वमर्तमान जमबान्दी भूमि खाता संख्या 2 के कुल खसरा नम्बर 6 किता रकबा 15.4141 है0 में जमाबन्दी क्रम 4 पर दुर्रेशहाना पुत्री अ0 हफीज खां हिस्सा 1/6 जाति मुसलमान सा0देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया का नाम दुर्रेशहाना नामान्तरण संख्या 942 दिनांक 05.07.2012 से विरासत के नामान्तरण से दर्ज हुआ है तब से लेकर आदिनांक तक जमाबन्दी में दुर्रेशहाना पुत्री अ0 हफीज खां दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है। प्रार्थीया का नाम अन्य समस्त दस्तावेत यथा पेशनर्स आई डी कार्ड राज सरकार, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में शाहाना मदानी पत्नि नासेह मो0 मदानी दर्ज है खाता संख्या 2 के सहखातेदार अ0 नदीम पुत्र अ0 हफीज खां एवं ग्राम वासियान यथा उमर खां, रईस खां, गजेन्द्र शर्मा, चादं बाबू आदि से जानकारी पर पाया गया कि प्रार्थीया दुर्रेशहाना एवं शाहाना मदानी एक ही व्यक्ति है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रही है।

......2

–76 खाता संख्या 2 में दुर्रेशहाना पुत्री अ0 हफीज खां शालामती खातेदारी में दर्ज है कल नामान्तरण संख्या 942 अ0 हफीज का फोती नामान्तरण दर्ज किया गया जिसमें दुर्रेशहाना दर्ज है प्रस्तुत आधार कार्ड, शाहाना मदानी जन आधार कार्ड, में शाहाना मदानी पेंशनर्स आई डी कार्ड में शाहाना मदानी दर्ज है। यह विचारणीय है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे शाहाना मदानी पत्नि नासेह मोहम्मद अंकित है एवं जमाबंदी मे दुर्रेशहाना पुत्री अब्दुल हफीज दर्ज है। यह दोनो ही इन्द्राज बिल्कुल अलग–अलग है। अर्थात इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि शाहाना मदानी एवं दुर्रेशहाना एक ही महिला है। प्रार्थिया साक्ष्य/सबूतो के आधार पर आनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। परंतु अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट (समरी प्रक्रिया) के तहत आनुतोष नही दिया जा सकता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा